प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.06.2021 जनपद देवरिया

01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध अभियान जारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 04 अभियोग पंजीकृत किये गए।

कच्ची शराब के विरूद्ध दिनांक 29.05.2021 से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दिबश देकर काफी मात्रा में लहन व भिट्ठियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 11.06.2021 को जिलाधिकारी देविरया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देविरया डा0 श्रीपित मिश्र के निर्देशन में से चलाए जा रहे अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दिबस देते हुए कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरूद्ध विभिन्नों थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02. 03 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -*

दिनांक-11.06.2021 को पुलिस अधीक्षक देविरया द्वारा शाितर अपरािधयों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष खुखुन्दू द्वारा अवगत कराया गया कि शाितर अभियुक्त 01.िकशन यादव पुत्र रामनगीना यादव सा0िवशुनपुरा थाना लार देविरया 02. चंचल उर्फ सुधान्शु मल्ल पुत्र धीरेन्द्र मल्ल सा0 धरमेर थाना मईल देविरया 03. सोनू यादव पुत्र मुन्ना यादव सा0 शेरवा बभनौली थाना खुखुन्दू, देविरया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कािरत करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना खुखुन्दु में अपराध धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 11.06.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के कोतवाली थाना द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

थाना कोतवाली - मु0अ०सं० 921/20 धारा 363,504,506 भा0द0वि० नाम पता अभियुक्त-1.अरबाज पुत्र रियाजुद्दीन सा० पुरवा मेहड़ा कांशीराम थाना कोतवाली देवरिया

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 11.06.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

🗪 जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 64 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 11.06.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

🗪 वाहन चेकिंग के दौरान 76 वाहनों से 77,500 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.06.2021 जनपद देवरिया।

थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 15000 रू0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-250/2020 धारा- 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना लार जनपद देविरया से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त करन पासवान पुत्र बाबूराम पासवान सािकन चिकया ढाला थाना कोतवाली जनपद देविरया जो जनपद देविरया से 15,000 रू० का पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष खुखुन्दू द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 12.06.2021 को थानाध्यक्ष खुखुन्दू मय टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सोनूघाट चौराहे के पास से ईनािमया अभियुक्त करन पासवान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

करन पासवान पुत्र बाबूराम पासवान साकिन चकिया ढाला थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 171/20 धारा 3/5ए/8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशुक्रुरता अधि0

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादव थाना खुखुन्दू देवरिया,

02. हे0का0 जुनैद खाँ थाना खुखुन्दू देवरिया

02. का० रमेश यादव थाना खुखुन्दू देवरिया,

03 का0 अजय यादव थाना खुखुन्दू देवरिया,